प्रेस नोट थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

<u>सराहनीय कार्य दिनांक – 10.07.2026</u>

जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं से झपटमारी की दो घटनाओं का सफल अनावरण, शातिर अभियुक्त सुहैल खान उर्फ अमन को गिरफ्तार कर दोनों घटनाओं से संबंधित लूटे गए पीली धातु के कुण्डल, एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस, जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा घटनास्थलों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। साथ ही यक्ष एप एवं सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 09/10.07.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-225/2026 से संबंधित घटना को कारित करने वाला, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, बरेली-सीतापुर हाईवे की ओर कहीं जाने की फिराक में है तथा छिपते-छिपाते केरूगंज होते हुए कान्हा गौशाला रोड से बरेली-सीतापुर हाईवे की ओर पैदल जा रहा है। सूचना पर एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँची तथा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछकर उसकी विधिवत जामा तलाशी ली गई, जिसने अपना नाम सुहैल खान उर्फ अमन पुत्र सरवर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला हद्दाफ, हद्दाफ चौकी के पीछे, मस्जिद वाली गली, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तथा पीली धातु के दो कुंडल (चार टुकड़ों में) बरामद हुए। बरामद कुंडलों के संबंध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वे थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-225/2026 धारा 304(2) बीएनएस एवं मु0अ0सं0-229/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर संबंधित अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को उसके अपराध एवं गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए दिनांक 10.07.2026 को समय लगभग 01:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 225/2026, धारा 304(2)/317(2) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 229/2026, धारा 304(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

- ✓ सुहैल खान उर्फ अमन पुत्र सरवर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला हद्दाफ, हद्दाफ चौकी के पीछे, मस्जिद वाली गली, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

- ✓ अभियुक्त को कान्हा गौशाला रोड से बरेली-सीतापुर हाईवे की ओर जाते समय, थाना कोतवाली क्षेत्र, जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 10.07.2026 को समय लगभग 01:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
2. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।
3. पीली धातु के कुण्डल के दो टुकड़े, संबंधित मु0अ0सं0 225/2026
4. पीली धातु के कुण्डल के दो टुकड़े, संबंधित मु0अ0सं0 229/2026

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल खान उर्फ अमन पुत्र सरवर से बरामद पीली धातु के कुण्डलों के टुकड़ों के संबंध में विधिवत एवं गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसके पिता काफी समय से बीमार रहते हैं तथा परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। आर्थिक तंगी एवं पिता के उपचार हेतु धन की आवश्यकता के कारण उसने लगभग 03-04 दिन पूर्व मोती चौक चौराहे के निकट पट्टी गली में ई-रिक्शा में बैठी एक महिला के कान से झपट्टा मारकर एक जोड़ी कुण्डल छीन लिए थे। अभियुक्त से बरामद दूसरे कुण्डल के टुकड़ों के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि लगभग 14-15 दिन पूर्व मोहल्ला हुण्डालखेल स्थित कन्नौजिया अस्पताल के पास पैदल जा रही एक महिला के कान से झपट्टा मारकर एक जोड़ी कुण्डल छीने थे। अभियुक्त ने बताया कि बरामद दोनों जोड़ी कुण्डलों को पहचान छिपाने के उद्देश्य से टुकड़ों में तोड़ दिया था तथा उन्हें बेचने के लिए बरेली जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद अवैध देशी तमंचा .315 बोर के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उक्त तमंचा उसने अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से अपने पास रखा हुआ था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मनोज कुमार, प्रभारी सर्विलांस सेल/एसओजी, मय टीम, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 भूपेन्द्र राणा, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 कुमार गौरव, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2781 रोहित कुमार, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
5. रि0का0 अभिषेक, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।